

TO BE PUBLISHED IN PART-IV ORDINARY OF DELHI GAZETTE

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF COOPERATIVE)
OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES
PARLIAMENT STREET, OLD COURT BUILDING, NEW DELHI-110001

No. F.47/65/GH/NW/2013/222

Dated: 27/1/14

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by Section 127 of Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the Shivali Cooperative Group Housing Society Ltd. (65/GH) from the provisions of Section 27(1)(b) of Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) and accordingly extend the period of supersession of the managing committee and term of the Administrator of the said society up to 31.03.2014 or till the democratic set up is restored whichever is earlier.

By Order and in the name of
The Lieutenant Governor of
the National Capital Territory of Delhi.


(VIRENDER KUMAR)

SPECIAL SECRETARY COOP. SOCIETIES


(दिल्ली राजपत्र साधारण के भाग-४ में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
सहकारिता विभाग
संसद मार्ग, नई दिल्ली-११०००१

संख्या : फा० ४७/६५/ उत्तर पश्चिम/गृह आवास/२०१३/२२२ दिनांक २३/११/१४

अधिसूचना

दिल्ली सहकारी समितियों अधिनियम २००३ की धारा १२७; (दिल्ली अधिनियम - ३, २००४) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, शिवाजी सहकारी गृह आवास समिति (६५/स०आ०) धारा ३७(१)(ख) दिल्ली सहकारी समितियों अधिनियम २००३; (दिल्ली अधिनियम - ३, २००४) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्य काल की अवधि दिनांक ३१.०३.२०१४ अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर


(विरेन्द्र कुमार)

विशेष पंजीयक (सहकारिता)